Me Gazette of India

EXTRAORDINARY

भ्रत I[—खण्ड 3—उप-खण्ड (१)
PART II—Section 3—Sub-section (१)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिस्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 2008/कार्तिक 9, 1930

No. 573|

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2008/KARTIKA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय क्षश्र्वालय)

अधिसुचना

भुम्बई, 1 अक्तूबर, 2008

सं, फेमा 181/आर ची-2008

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अववा निर्यम) (द्वितीय संशोधन) विनियसावली, 2008

सा.का.नि, 756(अ).—बिदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व कैंक एतद्द्वस्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फोमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और फ्रारम्भ.—(i) ये विनिधम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2008 कहलाएंगे ।
 - (ii) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से ये विनियम लागू समझे जाएंगे ।
- 2. **विनियम 2 में मंशोधन.**—विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी–2004, अब से आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में,

(1)

विनियम (2) में, खंड (थक) के बाद निम्नलिखिद नए खंड को जोड़ा जाएगा और जून 2008 के सत्ताईसवें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात :---

''(धर्ख) 'न्यास' का तात्पर्यं भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत न्यास है ।''

"(थ ग) 'सोसाइटी' का तात्पर्य , सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है।"

3. भाग I में नया विनियम जोड़ना :-

भूल विनियमावली में , भाग I में, विनियम 9 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा और जून 2008 के सत्ताईस वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा , अर्थात् :-

" 9 अ पंजीकृत न्यास / सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय
निवेश: अधिसूचना की अनुसूची III के अनुसार मानदंड़ों
को पूरा करनेवाले विनिर्माण / शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यरत
पंजीकृत न्यास और सोसाइटी रिजर्व बैंक की पूर्वानुमित से
भारत के बाहर संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक
संस्थाओं में उसी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। "

4. <u>नई अनुसूची जोडना</u> :-

मूल विनियमावली में ,अनुसूची II में, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा और जून 2008 के सत्ताईस वें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा ,अर्थात् :-

> अनुसूची III (विनियम ९ अ देखें)

<u>पंजीकृत न्यास/ सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश</u>

पंजीकृत न्यास/ सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश के लिए मानदंड़ न्यास

- न्यास भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- म्यास विलेख प्रस्तावित समुद्रपारीय निवेश की अनुमित देता है।

- iii) प्रस्तावित निवेश न्यासी / न्यासियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- iv) प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट है कि न्यास अपने ग्राहकों को आनिए (केबाईसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है।
- v) न्यास कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत है।
- vi) न्यास ,प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे किसी विनियामक /प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूची के अधीन नहीं है।

सोसाइटी

- i) सोसाइटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- संस्था के बर्हिनियम और नियम और विनियम सोसाइटी को प्रस्तावित निवेश की
 अनुमति देते हैं जिसे शासी निकाय/परिषद अथवा प्रबंधन/कार्यकारी समिति द्वारा भी
 अनुमोदित होना चाहिए।
- iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक संतुष्ट है कि प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट है कि सोसाइटी अपने ग्राष्टकों को जानिए (क्याईसी) का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है।
- iv) सोसाइटी कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत है।
- v) सोसाइटी ,प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसे किसी विनियामक /प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूची के अधीन नहीं है।

पंजीकरण के अलाखा,क्रियाकलाप, जिन्हें गृह मंत्रालय,भारत सरकार अथवा संबंधित स्थानीय प्रधिकरण , जैसा मामला हो,से विशेष लाइसेंस /अनुमित की आवश्यकता है,के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि आवेदक ने ऐसा विशेष लाइसेंस /अनुमित प्राप्त किया है।

5. विनियम 11 में संशोधन :-

मूल विनियमावली में, भाग I में ,विनियम 11 में, उप विनियम (1) के परंतुक में, "निर्यात प्राप्य निर्यात की तारीख से छ: महीने की अवधि से परे अप्राप्य रहीं हैं" शब्दों को "निर्यात प्राप्य निर्धारित प्राप्य अवधि से परे अप्राप्य रहीं हैं" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और जून 2008 के तीसरे दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

6. विनियम ९ अ में संशोधन :-

विनियमावली 9 अ में," विनिर्माण / शैक्षणिक क्षेत्र " शब्दों के बाद " और जिन्होंने भारत में अस्पताल (अस्पतालें)स्थापित किया है " शब्दों को जोड़ा जाएगा और अगस्त 2008 के तेरहवें दिन से जोड़ा गया समझा जाएगा।

> [फा. सं. ।/23/ईएम/2000 -खंड-IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को जी.एस.आर. सं.757(E) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर.220(E)

मई 27, 2005 के जी.एस.आर.337(E)

अगस्त 31, 2005 के जी.एस.आर. सं. 552(E)

सितंबर 6,2006 के जी.एस.आर. सं. 535(E)

जनवरी 5, 2008 के जी.एस.आर. सं.13(E)

मार्च 25, 2008 के जी.एस.आर. सं. 209(E)

 (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2008

No. FEMA 181/RB-2008

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2008

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FBMA. 120/RB-2004 dated July 7, 2004) namely :—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the dates specified in these regulations.

2. Amendment of Regulation 2:-

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004, (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004, hereinafter referred as the principal regulations),

In Regulation 2, after clause (qa), the following new clauses shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of June 2008, namely:-

- "(qb) 'Trust' means a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882".
- "(qc) 'Society' means a Society registered under the Societies Registration Act, 1860".

417391108-2

3. Insertion of new Regulation in Part I:-

In the principal regulations, in Part I, after Regulation 9, the following regulation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of June 2008, namely:-

"9A Overseas Investments by Registered Trust/Society:Registered Trusts and Societies engaged in the manufacturing/educational sector satisfying the criteria as per schedule III of the Notification may invest in the same sector(s) in a Joint Venture/Wholly Owned Subsidiary outside India with the prior approval of the Reserve Bank,"

4. Insertion of new Schedule: -

In the principal regulations, after Schedule II, the following new Schedule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 27th day of June 2008, namely:-

"Schedule III (See Regulation 9A)

Overseas Investments by Registered Trust/Society

Criteria for overseas investment by Registered Trust/Society

Trust

- i) The Trust should be registered under the Indian Trust Act, 1882.
- ii) The Trust deed permits the proposed investment overseas.
- iii) The proposed investment should be approved by the trustee/s.
- iv) The Authorised Dealer bank is satisfied that the Trust is KYC (Know Your Customer) compliant and is engaged in a bonafide activity.

- v) The Trust has been in existence at least for a period of three years.
- vi) The Trust has not come under the adverse notice of any Regulatory / Enforcement agency like the Directorate of Enforcement, CBI etc.

Society

- i) The Society should be registered under the Societies Registration Act, 1860.
- ii) The Memorandum of Association and rules and regulations permit the Society to make the proposed investment which should also be approved by the governing body / council or a managing / executive committee.
- iii) The Authorised Dealer bank is satisfied that the Society is KYC (Know Your Customer) compliant and is engaged in a bonafide activity.
- iv) The Society has been in existence at least for a period of three years.
- v) The Society has not come under the adverse notice of any Regulatory / Enforcement agency like the Directorate of Enforcement, CBI etc.

In addition to the registration, the activities which require special license / permission either from the Ministry of Home Affairs, Government of India or from the relevant local authority, as the case may be, the Authorised Dealer Category — I bank should ensure that such special license /permission has been obtained by the applicant.

5. Amendment of Regulation 11:-

In the principal regulations, in Part I, in Regulation 11, in the provise to sub-regulation (1), for the words "export proceeds have remained unrealized beyond a period of six months from the date of export" the words "export proceeds have remained unrealized beyond the prescribed period of realization" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 3rd day of June 2008.

6. Amendment of Regulation 9A:-

In Regulation 9A after the words "manufacturing/educational sector" the words "and which have set up hospital(s) in India" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 13th day of August 2008.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:

(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.757 (E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide:

G.S.R. No.220 (É) dated April 7, 2005

G.S.R. No.337 (E) dated May 27, 2005

G.S.R. No.552 (E) dated August 31, 2005

G.S.R.No. 535(E) dated September 6, 2006

G.S.R.No, 13(E) dated January 5, 2008

G,S.R.No. 209(E) dated March 25, 2008

G. S.R. No. ---- dated ----

G. S.R. No. ----- dated ------

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.